


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2-अभियोजन(347/12)चुरु/2019/333 जयपुर,दिनांक :19-02-20

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 2986 दिनांक 16.08.2019 द्वारा श्री हंसराज मीणा, तत्कालीन ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बडावर, पंचायत समिति सुजानगढ़ हॉल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बीदासर, जिला चुरु को निलम्बित किया जाकर, निलम्बन काल में मुख्यालय जिला परिषद झुंझुनू किया गया था।


उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन 12867/2019 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2020 की पालना में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

  
(श्री) आरुषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू को उनके पत्र क्रमांक 69 दिनांक 06.01.2020 के क्रम में।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चुरु
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सुजानगढ़ (चुरु) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थगन आदेश के संबंध में प्रभावी पैरवी करते हुए स्थगन अपास्त कराने की कार्यवाही करावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बीदासर (चुरु)
7. श्री हंसराज मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी हॉल मुख्यालय जिला परिषद झुंझुनू।
8. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II